

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/8930

जयपुर, दिनांक: 27-11-2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
कलक्टर (पंचायत) राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 - निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- आयोग के पत्रांक 4138/19.9.2014, 7709/8.11.2014 एवं 8175/17.11.2014

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु आयोग के पत्रांक 8175 दिनांक 17.11.2014 से दिनांक 24.11.2014 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कराया जाने का कार्यक्रम घोषित किया गया था, उक्त कार्यक्रम को आयोग के पत्रांक 8800 दिनांक 22.11.2014 द्वारा स्थगित किया गया था। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन हेतु संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है -

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	29 नवम्बर, 2014 (शनिवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्ड/मतदान केन्द्रों पर पठन	29 व 30 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	8 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	30 नवम्बर, 6 एवं 7 दिसम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	16 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	22 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	28 दिसम्बर, 2014 को

1. आपको जिन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के पीडीएफ प्रेषित किए जा चुके हैं, उनसे मुद्रित करवायी गई मतदाता सूचियों में प्रारूप प्रकाशन की दिनांक के सामने, खाली स्थान या पूर्व कार्यकमानुसार अंकित दिनांक हो तो, वहाँ पर रबड़ मोहर अथवा हस्तलिपि से उक्तानुसार दिनांक अंकित करावें। साथ ही किन्हीं ग्राम पंचायतों के नाम मतदाता सूचियों में अंग्रेजी में अंकित हो गए हैं, उन मतदाता सूचियों में ग्राम पंचायतों के नाम हिन्दी में हस्तलिपि से अंकित करावें।
2. जिन पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद) के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) पुनर्गठन/पुनर्संयोजन को अंतिम एवं अधिसूचित नहीं करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है, उनकी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन आगामी आदेशों तक नहीं करवाया जाना है। मतदाता सूचियों के प्रकाशन कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

(सत्यप्रकाश बसवाली) 27/11/14

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 27-11-2014

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/8931-39

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
5. निर्देशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव/सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
8. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
9. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन) 27/11/14
उप सचिव